[अभियान] सावधानी, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने पर मिला सम्मान

कलेक्टर ने बीएलओ ओंकारेश्वरी को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

स्वदेश समाचार ■ मुंगेली

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत करना तथा मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर सूची को अद्यतन करना है, ताकि निर्वाचक नामावली में किसी योग्य व्यक्ति का नाम न छूटे तथा किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम न जुड़े। आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले के सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

कलेक्टर ने ग्राम खपरी की बीएलओ श्रीमती ओंकारेश्वरी जोशी जांगड़े को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रदान करने एवं प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बीएलओ श्रीमती जांगड़े ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में जिस स्तर की सावधानी, जिम्मेदारी और समर्पण की आवश्यकता होती है, उसे अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ पूर्ण किया है, जो प्रशंसनीय और उल्लेखनीय है। श्रीमती जोशी ने घर-घर जाकर गणना पत्रक का वितरण किया, नागरिकों को आवश्यक जानकारी दी तथा जिन मतदाताओं ने ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए, उनकी सभी प्रविष्टियों को समयबद्ध रूप से बीएलओ एप में दर्ज किया।

एसआईआर कार्य को गुणवत्ता व दक्षता के साथ सफलतापूर्वक करने के निर्देश

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यकतानुसार गैर-हाजिर, पुनरावृत्त, मृत तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन कर उनकी प्रविष्टियों को नियमानुसार अद्यतन किया। प्रत्येक मतदाता से व्यक्ति गत रूप से संपर्क कर दस्तावेज लेना और जानकारी की पुष्टि करना उनके कार्य की प्रमुख विशेषता बनी। विशेष रूप से श्रेणी बी और सी में आने वाली बहू-बेटियों से उन्होंने स्वयं भेंट की, आवश्यक दस्तावे? लिए तथा बीएलओ एप के माध्यम से उनके ऑनलाइन फॉर्म भरकर उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित किया। अनेक मतदाता खेती-किसानी या रोजगार के कारण घर पर उपलब्ध नहीं होते थे, जिसके लिए उन्हें एक ही परिवार तक 2-3 बार तक जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने धैर्य, सतर्कता और निरंतरता के साथ सभी सूचनाएँ एकत्र कर कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। ओंकारेश्वरी जोशी का यह उत्कृष्ट कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि एक संवेदनशील एवं जिम्मेदार बीएलओ अपने क्षेत्र में मतदाता सूची अद्यतन कार्य को पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और दक्षता के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकती है।

संक्षिप्त समाचार

उपभोक्ता साक्षरता शिविर का आयोजन 29 को

अम्बिकापुर। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूकता एवं ई फाईलिंग, ई हेयरिंग आदि के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा द्वारा 29 नवम्बर 2025 को दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तक सीतापुर जनपद पंचायत के सभागृह में उपभोक्ता साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

पूजा-अर्चना के साथ खरीदी केंद्र केरा में नाप तौल शुरू

जांजगीर-चांपा। सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरा विकासखंड नवागढ़ में इस वर्ष के धान खरीदी सीजन का शुभारंभ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता समीर वैष्णव द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी, अन्नपूर्णा माता एवं अन्नदाता किसान की पूजा-अर्चना कर दीप प्रज्ज्वलित करने से हुई। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए धान की पहली तौल कर खरीदी प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष प्रमोद शुक्ला, उप सरपंच वेदप्रकाश देवांगन, पूर्व जनपद सदस्य मनीष केशरवानी, लक्ष्मीकांत केशरवानी, दुजराम माझी, संस्था प्रबंधक बीरबल आदित्य, विक्रेता नीलांबर ढीमर, कंप्यूटर ऑपरेटर कमल आदित्य सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। खरीदी केंद्र पहुंचने वाले किसानों का भव्य स्वागत, जलपान एवं नाश्ते के साथ किया गया।

46 केंद्रों में की जा रही धान की खरीदी

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले के सभी 46 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। उन्होंने सभी पंजीकृत किसानों का धान प्राथमिकता से खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में पत्थलगांव विकास खंड के बागबहार धान खरीदी केंद्र में ग्राम मयूरनांचा निवासी किसान सुशांत कुमार साहू धान बेचने पहुंचे उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्र में कर्मचारियों का बढ़िया सहयोग मिला धान बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उनके नाम से ही सोसायटी में धान बेचने के लिए पंजीयन हुआ है। किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।

[ऑपरेशन शंखनाद] टमाटर की आड़ में चल रही गो तस्करी का भंडाफोड़

13 गोवंश मुक्त, पिकअप जब्त, तस्कर फरार

■ 25 नवंबर की रात तीन बजे पुलिस को मिली सूचना

स्वदेश समाचार ■ जशपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में गो तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन शंखनाद लगातार प्रभावी रूप से जारी है। इसी कड़ी में फरसाबहार थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टमाटर की आड़ में ले जाए जा रहे 13 गोवंशों को तस्करों से मुक्त कराया है, जिनमें से एक गोवंश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन (क्रमांक जेएच 01डीक्यू-5773) को भी जब्त कर लिया है।

25 नवंबर की रात करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद पिकअप में भारी संख्या में गौवंशों को ठूंस-ठूंसकर भरकर झारखंड की ओर ले जाया जा रहा है। वाहन के ऊपर टमाटर से भरी कैरेट रखकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलते ही फरसाबहार पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन का पीछा शुरू किया। पुलिस को पीछे आते देख चालक वाहन को तेज गति से भगा ले गया, और ग्राम पमशाला चौक के पास वाहन अनियंत्रित होकर खेत में उतार दिया, जिसके बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जिनकी फरसाबहार पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की खोजबीन युद्ध स्तर पर जारी है खबर लिखे जाने तक आरोपी फरार हैं।

वाहन की जांच में मिला दर्दनाक मंजर

पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो टमाटर की कैरेट के नीचे एक बनाए गए शेड में 13 गौवंश ठूंसकर भरे मिले। उनमें से एक की मौत हो चुकी थी, जिसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराया गया। शेष 12 जीवित गौवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उन्हें सुरक्षित रखा गया।

आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और वाहन नंबर के आधार पर फरार आरोपी की पहचान की जा रही है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा तथा आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन अधिकारियों की रही महत्वपूर्ण भूमिका

उप निरीक्षक सुरजन राम पोर्ते, सहायक उप निरीक्षक भीमसेंट टोप्पो, आरक्षक नीरज तिर्की और ईश्वर साय ने गौवंश उद्धार में अहम भूमिका निभाई।

जल्द ही फरार आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे: एसएसपी

पशु तस्करी की घटना की जानकारी होने पर जिले के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि पशु तस्कर तस्करी के नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हमारा मुखबिर तंत्र और पुलिस टीम पूरी तरह सक्रिय है। टमाटर की आड़ में तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई है। जल्द ही फरार आरोपी भी गिरफ्तार होगा। गौ तस्करी में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा बल्कि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी पर कठोर कार्रवाई जाएगी, जोरों से तलाश जारी है।

पूर्व एसडीएम, पटवारी सहित चार पर मामला दर्ज करने का आदेश

■ मिश्रा चेम्बर के तर्कों के आधार पर पारित हुआ आदेश

जिंदल पावर एंड स्टील की भूमि में कथित हेराफेरी का मामला

स्वदेश समाचार ■ रायगढ़

राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी, कूटरचना और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, दामोदर प्रसाद चंद्रा की अदालत ने पूर्व एसडीएम अशोक कुमार मार्बल, पटवारी परमेश्वर नेताम, जमीन विक्रेता बिहारी पटेल और विक्रय पत्र के गवाह सुरेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 419, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थाना प्रभारी लैलूंगा को दिया है। यह आदेश लैलूंगा निवासी पीड़ित व्यापारी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा दायर क्रिमिनल कंप्लेंट (फाइलिंग नंबर 714/2024) पर सुनवाई करते हुए मिश्रा चेम्बर रायगढ़ के सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा और आशीष कुमार मिश्रा के विस्तृत तर्कों के बाद पारित किया गया है।

आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2018 में घरघोड़ा में पदस्थ एसडीएम अशोक मार्बल और पटवारी परमेश्वर नेताम ने ग्राम झींकाबहाल स्थित जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड की भूमि खसरा नंबर 208, रकबा 0.773 हेक्टेयर के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में कथित रूप से हेराफेरी की। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने झूठी ऋण पुस्तिका क्रमांक छ-1318403 तैयार की और खसरा एवं बी-1 अभिलेख में इस भूमि को बिहारी पटेल के नाम दर्शाया, जबकि वर्ष 2017 के राजस्व अभिलेखों में यह जमीन जिंदल पावर लिमिटेड के नाम दर्ज थी और कभी भी बिहारी पटेल के नाम पर नहीं रही। इन कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिहारी पटेल ने 23 जनवरी 2018 को यह जमीन 11,84,000 रुपये में पीड़ित अशोक अग्रवाल को बेच दी। रजिस्ट्री भी इन्हीं दस्तावेजों पर आधारित होकर हो गई।

फर्जी नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाने का आरोप

खरीद-बिक्री के बाद, पीड़ित के नाम पर फर्जी नामांतरण और नई ऋण पुस्तिका क्रमांक छ-2551631 जारी किए जाने का आरोप भी आवेदन में दर्ज है। सितंबर 2023 में जब पीड़ित ने जमीन का ऑनलाइन दस्तावेज निकाला, तो उक्त भूमि वेंगुर वल्द ईश्वर के नाम पर दर्ज दिखाई दी। इसके बाद की छानबीन में वर्ष 2017 के खसरे में जिंदल पावर लिमिटेड का नाम होना सामने आया।

अवैध धान खरीदी और बेचने वालों पर रखें कड़ी निगरानी

■ कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सम्पन्न

स्वदेश समाचार ■ अम्बिकापुर

कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने जिले में धान खरीदी की प्रगति और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में हमाल, बारदाने की उपलब्धता सहित किसानों हेतु मूलभूत व्यवस्था जैसे पेयजल, बैठक व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को टोकन कटवाने, तौल करवाने एवं भुगतान सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या ना हो।

अवैध धान खरीदी एवं बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही हो, अधिकारी सतत निगरानी रखें, सूचना तंत्र मजबूत करें। कलेक्टर श्री भोसकर ने इस दौरान मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में प्रगति की समीक्षा की। इसके तहत बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा की गई, उन्होंने सर्व जनपद पंचायत सीईओ को जल्द से जल्द निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराए जाने निर्देशित किया। लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी ना हो, आमजनों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि पर विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान डीएफओ अभिषेक जोगावत, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, अमृत लाल ध्रुव, नगर निगम कमिश्नर डी एन कश्यप एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारी निरंतर गांवों का करें विजिट

उन्होंने कहा कि अधिकारी निरंतर फील्ड विजिट करें, कोटवारों से गांव-गांव में मुनादी करवाएं। रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी को कार्य में लगाएं, ताकि निर्धारित समय सीमा में शत प्रतिशत कार्य पूरा हो। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, वहां से फॉर्म एकत्रित कर तहसील एवं अन्य कार्यालयों में अपलोड की कार्यवाही करें।

* मुंगेली। मुंगेली विकासखंड के ग्राम सिल्ली की निवासी बसंती साहू के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना उम्मीद की नई किरण बनकर आई। लंबे समय से कच्चे मकान में रह रही श्रीमती साहू अपने परिवार के लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाने का सपना देखती थीं।

पुरुष नसबंदी पखवाड़े की हुई शुरूआत

स्वदेश समाचार ■ अम्बिकापुर

जिले में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 नवम्बर से पुरुष नसबंदी पखवाड़े की शुरुआत हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीएस मार्को के द्वारा समस्त विकासखण्ड में जागरूकता के लिए जागरुकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार, पुरूष सहभागिता से ही होगा यह सपना साकार" थीम पर आधारित यह पखवाड़ा 4 दिसंबर तक आयोजित होगा।

पखवाड़े को दो चरण में प्रथम चरण मोबिलाइजेशन और दूसरा सेवा वितरण चरण में बांटा गया है। सीएमएचओ डॉ. मार्को ने बताया, नसबंदी करने वाले डॉक्टर्स को इस संबंध में पहले से दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। पुरुषों में नसबंदी की दर जिले में कम है, इसे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। पखवाड़े के पहले चरण में लाभार्थियों को पुरुष नसबंदी की जानकारी दी जाएगी और उन्हे इससे अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

किसान की मेहनत को समर्थन मूल्य ने दी बड़ी राहत

स्वदेश समाचार ■ कोरबा

प्रदेश में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। सर्वाधिक मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिलते ही किसान और अधिक उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी दिन-रात की मेहनत का उचित सम्मान और सही दाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। खरीदी केंद्रों की सुचारू व्यवस्था और ऑनलाइन टोकन की सुविधा ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है, जिससे वे सहज और उत्साहपूर्वक अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोरबा विकासखंड के सहकारी समिति भैंसमा में गांव के ही रहने वाले किसान राजा कुमार भारद्वाज ने अपनी मेहनत से उपजे 24.40 क्विंटल धान का विक्रय किया। समिति में मिली बेहतर व्यवस्था, सहज प्रक्रिया और त्वरित खरीदी ने उन्हें बेहद संतुष्ट किया, जिससे उनके मन में अपनी फसल के सही मूल्य और सकारात्मक अनुभव का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। किसान राजा कुमार बताते हैं कि धान का सर्वाधिक मूल्य ने उनकी मेहनत को सही मूल्य दिलाया है। साथ ही, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी का प्रावधान किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए किसान ने ऑनलाइन टोकन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया और घर बैठे ही टोकन प्राप्त कर लिया।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं बलौदा) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

//ईश्तहार//

कमांक/ रीडर/अ.वि.अ./2025

अकलतरा दिनांक 19/05/12005

एत्तद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रा. जांजगीर (अकलतरा एवं बलौदा) में आवेदक महेन्द्र कुमार पिता बहोरन ग्राम खैजा तहसील बलौदा के द्वारा ग्राम खैजा तहसील बलौदा में स्थित भूमि खसरा नं 1027 रकबा 0.28 ए./ 0.113 हे. भूमि को औद्योगिक मद में व्यपवर्तन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो, तो दिनांक 30/11/ 2025 को समय 10.00 बजे तक मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे न्यायालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं बलौदा)

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 07 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात्

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	खरसिया	बिलासपुर,खरसिया	0.071 हे.	लेवल क्रासिंग 299 पर रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज में भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12.11.2025 को समय 11.00 बजे स्थान प्रा.शा.भ.बिलासपुर गयी है-

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज में भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु।
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 02
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारो की संख्या : निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :-निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :-निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है :- हॉं
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? हॉं
8. परियोजना की कुल लागत :-33.01 लाख
9. परियोजना से होने वाले लाभ : आवागमन हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण।
10. प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय :-05 लाख
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहीत तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सह भू-अर्जन अधिकारी, खरसिया

जी-252605033/2

कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)

GRIHUM HOUSING FINANCE

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा इकाई: पहली मंजिल, इंदिरा टावर, विनोबा नगर, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ.ग.), छत्तीसगढ़ -495001

ई-नीलामी-विक्री सूचना

सरफासी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे 'प्रतिभूत ऋणदाता' कहा जाएगा) के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

सुरक्षित संपत्तियों को 'जहाँ है जैसी है', 'जो है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 29-12-2025 को ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट: https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHF's/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

स.क्र.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (अ)	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि (ब)	कब्जे की प्रकृति (स)	संपत्ति का विवरण (द)	आरक्षित मूल्य (इ)	EMD (RP का 10%) (फ)	EMD जमा करने की तिथि (ग)	वृद्धिशील बोली (ह)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय (ई)	नीलामी की तिथि और समय (ज)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामले यदि कोई हों (क)
1.	ऋण संख्या HL0024H15100042 शेख मुर्तुजा अली (उधार लेने वाला) शेख मुस्ताक अली (उधारकर्ता सह)	सूचना दिनांक: 07-06-2023 कुल बकाया: रु. 2928875.80/- (रुपये उन्नीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ पचहत्तर और अस्सी पैसे मात्र) 07-06-2023 तक देय वसूली तक 16.80% प्रति वर्ष ब्याज सहित	भौतिक	राजस्व भूमि का वह पूरा टुकड़ा सर्वेक्षण संख्या 150/6, प्रवेश 4000 वर्ग फुट, मौजा खमतराई, ज़ोन संख्या 17, ग्राम पंचायत ब्लॉक बिल्हा, आर.आई. सर्किल, तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.) से घिरा हुआ पूर्व:- सड़क, पश्चिम:- खुली भूमि, उत्तर:- विक्रेता की भूमि, दक्षिण:- विक्रेता की भूमि	रु. 4200000/- (रुपये बयालीस लाख मात्र)	रु. 420000/- (रुपये चार लाख बीस हज़ार मात्र)	27/12/2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	23/12/2025 (11AM-4PM)	29/12/2025 (11AM-2PM)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली प्रस्तुत करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बकाया और संपत्ति से जुड़े किसी भी अन्य बकाया जैसे सभी वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से लॉगिन आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26। सहायता ईमेल आईडी- Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति- धरनी पी., ईमेल आईडी- dharani.p@cvindia.com। संपर्क नंबर- 9948182222। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता' बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या-091551000028 और आईएफएससी कोड-ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर - 411014, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक खाते में 27-12-2025 तक या उससे पहले बयाना राशि जमा करनी होगी और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करवानी होंगी, ईमेल करनी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी इस पते पर भेजनी होगी: प्रथम तल, इंदिरा टावर, विनोबा नगर, व्यापार विहार, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), छत्तीसगढ़ -495001 मोबाइल नंबर +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.rv@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को 30 दिन (तीस) का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो सेंट्रल क्रॉनिकल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांक: 27.11.2025 स्थान: बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,